

**एसडीआरएफ के अन्तर्गत सहायता हेतु प्रस्ताव  
आवासीय मकान की दशा में**

(1) प्रभावित से संबंधित विवरण-

- (1) प्रभावित का नाम :- भूखाराम  
 (2) पिता का नाम :- उत्ताराम  
 (3) पूर्ण पता :- शाम-रोकट  
 (4) ग्राम पंचायत/वार्ड संख्या उत्तरी तहसील :- रेपल जिला सिरोही

(2) प्रभावित के परिवार के सदस्यों एवं कुल वार्षिक आय का विवरण

- (1) धारित भूमि का विवरण एवं आय :-  
 (2) अन्य स्रोतों से आय :- 50,000  
 (3) कुल वार्षिक आय :- 50,000 वार्षिक  
 (4) परिवार के सदस्यों का विवरण :-

| नम | उम्र | संबंध |
|----|------|-------|
|    |      |       |
|    |      |       |
|    |      |       |

(3) प्राकृतिक आपदा/हानि का विवरण

- (1) प्राकृतिक आपदा दिनांक 24/08/2022 घटना स्थल रोकट  
 (2) प्राकृतिक आपदा किस्म (i)अग (ii)बाढ़ (iii)चक्रवात (iv)भूस्खलन (v)सूखा (vi)भूकम्प  
 (vii)ओलावृष्टि (viii)बादल फटना (ix) कीट आक्रमण.....(बाढ़ की स्थिति में वर्षा एमएम अंकित करें)  
 (3) नुकसान का विवरण

| मकान में निर्मित कुल कमरों की संख्या |       | क्षतिग्रस्त कमरों की संख्या |       | शेष सुरक्षित उपलब्ध कमरों की संख्या |       |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| पक्का                                | कच्चा | पक्का                       | कच्चा | पक्का                               | कच्चा |
| -                                    | 1     | -                           | 1     | -                                   | -     |

- (4) नुकसान राशि  
 (5) मौके पर दी गई सहायता राशि (यदि कोई दी हो) :- 121/-

(4) एसडीआरएफ नोमर्स के मुताबिक बिन्दु संख्या 9 Housing में देय सहायता राशि

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| (a) Fully damaged/destroyed houses | Rs. 95,100/- per house in plain areas |
| (i) Pucca house                    |                                       |
| (ii) Kutch house                   |                                       |
| (b) Severely damaged houses        |                                       |
| (i) Pucca house                    |                                       |
| (ii) Kutch house                   |                                       |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (c) Partly damaged houses                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (i) Pucca house ( other then huts) where the damage is at least 15% | Rs. 5,200/- per house                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (ii) kutchha (other then huts) where the damage is atleast 15%      | Rs. 3,200/- per house                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (d) damaged/destroyed huts.                                         | Rs. 4,100/- per hut ,<br>(Hut means temporary, make shift unit inferior to Kutchha house made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the state/District authorities)<br>Note:- The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government. |
| (e) Cattle shed attached with house                                 | Rs. 2,100/- per shed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(5) प्रभावित के बैंक खाता (छाया प्रति सलग्न) संबंधी विवरण :-

| बैंक का नाम | शाखा का नाम | आईएफएससी कोड | खाता संख्या | मोबा.नं० |
|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|
|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|

(6) क्षति ग्रस्त मकान में उपलब्ध अन्य सुरक्षित कमरों का विवरण :- *नहीं*

(7) क्या अन्य कोई मकान उपलब्ध है :-

*नहीं छुफ़ि करे या चला दी*

(8) आवेदक द्वारा धारित भूमि/परिवारिक सदस्यों एवं प्राकृतिक नुकसान के संबंध में दिये गये विवरण के क्रम में एतद द्वारा उल्लेखित किया जाता है कि आवेदक के परिवार में ..... है एवं आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय (समस्त स्रोतों सहित) ..... रुपये वार्षिक है। आवेदक *खेती* श्रेणी से संबंधित है। (श्रेणी से संबंध दीपीएल/एससी/एसटी/सोतीहर मजदूर/लघु सीमान्त कृषक/कार से है।) एसडीआरएफ नोमर्स दिनांक 08.04.2015 के क्रम में प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 04 (a) (i)(ii), (b) (i) (ii), (c) (i)(ii), (d), (e) (जैसी भी स्थिति है मार्क करे) के अनुसार राशि ..... (स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से उल्लेख करे) दिये जाने की अनुशंसा करता है।

संदे दिनांक :-

ह. तकनीकी कर्मचारी व सील

*[Signature]*  
हस्ताक्षर पटवारी

*[Signature]*  
तहसीलदार (भ.अ.) रेवदर  
जिला-सिराही (राज०)

:-उपखण्ड अधिकारी की अनुशंसा:-

क्रमांक - ..... दिनांक - .....  
मूल आवेदन पत्र आपदा प्रकथन एवं सहायता विभाग के पत्रांक एफ 1(2)आ.प्रा.एवं सहा / सामान्य/2015/ 4406-40 दिनांक 09.04.2015 द्वारा प्रेषित एसडीआरएफ नोमर्स 08.04.2015 के क्रम में आवेदन के बिन्दु संख्या 04 (a) (i)(ii), (b) (i) (ii), (c) (i)(ii), (d), (e) (जैसी भी स्थिति है मार्क करे) के अनुसार राशि (स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से उल्लेख करे) ..... दिये जाने की अनुशंसा करता है।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी, रेवदर

संलग्न दस्तावेज 1 आवेदन पत्र 2 पटवारी की फर्द रिपोर्ट 3 बैंक पास बुक की प्रति (राज०)

4. अत्यधिक वर्षों की स्थिति में निर्धारित प्रमाण पत्र

5. मकान का अधिकृत निर्माण का प्रमाण पत्र 6. एफआईआर की प्रति

कार्यालय तहसीलदार.....

क्रमांक :

दिनांक :

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री 3-11/214  
जाति मेरवा निवासी 21 फरवरी (पूर्ण पता)  
दिनांक 24/8/2021 घटना दिनांक) को प्राकृतिक आपदा हरियाणा सरकार आपदा का  
विवरण चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्नि, बाढ़, ओलावृष्टि, भुस्खलन, बादल फटना, टिड्डी  
आक्रमण) से रहवासी मकान की क्षति हुई है। मेरे द्वारा प्रकरण में जांच कर ली गई कि  
रहवासी मकान, जिसकी क्षति हुई है, वह निर्माण अधिकृत हैं। मैं नियमानुसार प्राकृतिक  
आपदा से हुई हानि के लिए सहायता दिये जाने की अनुशंसा करता हूँ।

  
तहसीलदार (पूर्व) रेवदर  
तहसीलदार  
(नाम)  
(पदनाम)

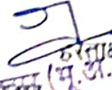
कार्यालय तहसीलदार.....

क्रमांक :

दिनांक :

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक शेराराम पुत्र श्री उनायाम  
जाति मेखवाल निवासी रोकपुर (पूर्ण पता)  
दिनांक 24/01/2022 (घटना दिनांक) को अत्याधिक वर्षा/जल भराव के कारण बाढ़ जैसी  
स्थिति उत्पन्न होने पर आपदा जनित परिस्थितियों में आवेदक के रहवासी मकान की क्षति  
हुई है। मेरे द्वारा प्रकरण में जांच कर ली गई, नियमानुसार प्राकृतिक आपदा से हुई हानि  
के लिए सहायता दिये जाने की अनुशंसा करता हूँ।

  
तहसीलदार (म.अ.) रोवदर  
(नाम) मिलेही (राज)  
(पदनाम)

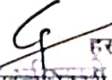
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी.....

क्रमांक :

दिनांक :

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक शेराराम पुत्र श्री उनायाम  
जाति मेखवाल निवासी रोकपुर (पूर्ण पता)  
दिनांक 24/01/2022 (घटना दिनांक) को अत्याधिक वर्षा/जल भराव के कारण बाढ़ जैसी  
स्थिति उत्पन्न होने पर आपदा जनित परिस्थितियों में आवेदक के रहवासी मकान की क्षति  
हुई है। मेरे द्वारा प्रकरण में जांच कर ली गई, नियमानुसार प्राकृतिक आपदा से हुई हानि  
के लिए सहायता दिये जाने की अनुशंसा करता हूँ।

  
उपखण्ड अधिकारी रोवदर  
(नाम) मिलेही (राज)  
(पदनाम)

## मौका फाँ 4

आज दिनांक को इरमाण पर मिली सूचना के  
आधार पर ग्राम चौक में मौके पर पहुंचा।  
मौके पर पाया कि दिनांक 24.08.2022 को अत्यधिक  
पछा से इराम उठ उनापी भाति-मेघवाल का  
केल्लपोल कच्चा 20x16 का मकान गिर गया है।  
मौके पर पाया की पार्सी के मकान की  
एक दीवार व आधी छत छ सतिगल हो  
गई है। मौका फाँ पढ़कर सुनाई गई कि पढ़ा  
सुनने समसने के बाद सतुदि से हल्लासा  
अछल के निशानात करवाय गई।  
बुराण

कराश

दरगलाल



जेताराम चौधरी  
सरपंच  
ग्राम पंचायत, उडवारिया  
च. स. रंजदर (तिरोही)



24.08.2022  
रवानी (च. स. उडवारिया  
बहुसोत-रंजदर (तिरोही)